

भारत-नेपाल सम्बन्ध एवं वर्तमान स्थिति का समीक्षात्मक अध्ययन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1. प्रोफेसर आशुतोष मिश्रा, विभाग अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
2. शिशुपाल सिंह, शोधार्थी, जे0 र0 फ0, राजनीति विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

भारत नेपाल संबंध ऐतिहासिक परिपेक्ष

नेपाल भारतीय उपमहाद्वीप का ही एक भाग है तथा यह स्थलों से घिरा हुआ देश है। भारत की लगभग 1860 किमी० सीमा नेपाल से सटी है। यह भारत एवं चीन के बीच स्थित है। हिमालय की गोद में बसे नेपाल की उत्तरी सीमा तिब्बत से मिलती है तथा इसकी पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सीमायें भारत से मिलती हैं। इसका क्षेत्रफल 1,48,000 किमी के लगभग है। इसकी जनसंख्या 3 करोड़ के लगभग है। सन् 1768 में पृथ्वी नारायण शाह ने काठमाण्डू पर फतह कर एकीकृत साम्राज्य की नींव डाली। सन् 1846 में नेपाल पर राजाओं का वर्चस्व हो गया, जिन्होंने सम्राट को शक्तिहीन कर नेपाल को विश्व से काट दिया। बाद में राजा और राणाओं के बीच एक समझौता हुआ जिसमें यह तय हुआ कि राजा को 'पांच सरकार' तथा राणा को 'तीन सरकार' कहा गया। सन् 1951 में राजा, नेपाली कांग्रेस के बीच समझौता हुआ तथा प्रथम बार संसद हेतु चुनाव हुए तथा नेपाली कांग्रेस के वी०पी० कोइराला के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्षरत नेपाली कांग्रेस के प्रायः वरिष्ठ नेताओं की शिक्षा-दीक्षा भारत में हुई। इन नेताओं ने अपने देश में निरंकुश राजाशाही का अन्त कराया। 30 जुलाई 1950 को भारत में नेपाल के मध्य "भारत-नेपाल शान्ति व सहयोग" की एक सन्धि की। न तो 1947 से पूर्व और न ही इसके बाद बिट्रेन अथवा भारत ने नेपाल के आन्तरिक मामलों में कभी भी हस्तक्षेप किया। भारत के प्रयास से नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। 1956 में भारत के राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसादने नेपाल की यात्रा की। 1960 में नेपाल ने चीन के साथ "मित्रता एवं सहयोग" की सन्धि कर ली। फलतः 1961 में भारत एवं नेपाल के सम्बन्धों में कुछ दरार देखी गयी। 1962 में भारत-चीन युद्ध के समय नेपाल के साथ भारत के सम्बन्ध बहुत अच्छे नहीं थे। लाल बहादुर शास्त्री ने भारत-नेपाल सम्बन्धों में सुधार लाने का प्रयास किया। तथा 1965 में नेपाल नरेश ने भी भारत की यात्रा की इससे दोनों देश के बीच भ्रान्तियाँ दूर हुयी। श्रीमती इन्दिरा गाँधी के युग में दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को और मजबूत किया जा सका तथा नेपाल यह अनुभव करने लगा कि भारत की कोई साम्राज्यवादी आकांक्षाएँ नहीं है। उसे भारत की प्रभुसत्ता का आदर करना ही चाहिए। 13 अगस्त, 1971 को दोनों देशों के बीच एक पंचवर्षीय समझौता किया गया जिसके तहत भारत ने नेपाल के कच्चे माल के व्यापार की खुली छूट दे दी एवं उसे मार्ग सुविधायें भी प्रदान कर दी। नेपाल ने बांग्लादेश के अस्तित्व में आने पर उसे तत्काल मान्यता प्रदान कर दी परन्तु 1975 में सिक्किम के विलय के समय नेपाल नरेश वीरेन्द्र ने इसे विस्तारवादी कह डाला। उस समय इंदिरा गाँधी ने यह स्पष्ट कर दिया कि नेपाल को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि भारत की मैत्री सदैव बरकरार रहेगी तथा यह मैत्री एक तरफ से नहीं चल सकती। सन् 1977 में जनता पार्टी के सत्तारूढ़ होने पर दोनों के बीच आपसी सम्बन्धों को और अधिक मैत्रीपूर्ण बनाने का प्रयास किया गया, परन्तु कोइराला की गिरफ्तारी एवं उन्हें मृत्युदण्ड दिये जाने की घोषणा ने दोनों देशों के सम्बन्धों में दरार पैदा कर दी। सन् 1980 में इंदिरा गाँधी की सरकार के पुनः सत्तारूढ़ होने पर भारत-नेपाल सम्बन्धों में सुधार एवं सहयोग देखा गया। सन् 1987 में दोनों देशों के बीच 'व्यापार एवं पारगमन' की सन्धि की गई, जिसका नवीनीकरण राजीव गाँधी सरकार ने नहीं किया। नेपाल में लम्बे आंदोलन के बाद सन् 1990 में सम्राट वीरेन्द्र ने लोकतंत्र बहाल कर दिया। सन् 1991 के चुनाव में नेपाली कांग्रेस को बहुमत मिला। इसके बाद कई सरकारें बनीं तथा बर्खास्त हुई। भारत ने नेपाल की पंचवर्षीय योजनाओं में भरपूर सहायता दी है तथा उसकी आर्थिक दशा को सुधारने हेतु भी उदारता से ऋण दिया है। भारत नेपाल को कोलकाता बंदरगाह को उपयोग में लाने हेतु अनुमति प्रदान की गई। कोसी तथा त्रिशूली परियोजनाओं में भारत ने उदारता से अपार धनराशि खर्च की भारत ने अनेक सड़कों का निर्माण किया। भारत ने नेपाल को 300 करोड़ रुपये से भी अधिक की सहायता दी तथा उसने

नेपाल की बड़ी-बड़ी नदियों पर बांध बनाकर सिंचाई एवं बिजली पैदा करने वाली अनेक परियोजनाओं को पूरा करके उसे तथा स्वयं को लाभांशित किया है।

नेपाल जलीय संसाधनों में एक धनी देश है। यदि दोनों देश इस क्षेत्र में निकटतम सहयोग करें तो इससे न केवल नेपाल का कायापलट हो सकता है अपितु भारत की अतृप्ति ऊर्जा अर्थव्यवस्था को भी सम्बल प्राप्त हो सकता है। दोनों देश आज तक सिंचाई, विद्युत, बाढ़ नियंत्रण तथा इसी प्रकार के आपसी लाभप्रद आर्थिक परियोजनाओं से वंचित रहे हैं। नेपाल में कृषि उत्पादन, सीमेंट और ऊर्जा के उत्पादन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

यदि भारत नेपाल संबंध के ऐतिहासिक पर्यवेक्षक का अध्ययन किया जाए तो ज्ञात होता है कि भारत व नेपाल के मध्य 1949-1950 के समय से अधिक सहयोग दिखाई देता है। सन 1950 में भारत नेपाल के मध्य शांति का संदेह राजा त्रिभुवन को कार्यकाल के समय में भारत समर्थन रुख अपनाया गया। उनके स्थान पर नेपाल के राजा महेन्द्र सत्तारूढ़ हुए तथा राजा महेन्द्र के द्वारा भारत को संतुलित करने के लिए चीन कार्ड का प्रयोग किया गया। भारत की लोकतांत्रिक पंथनिरपेक्ष शासन प्रणाली एवं गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का प्रभाव प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप में नेपाल में होता रहा है। सन 1960 में नेपाल में लोकतांत्रिक शासन का समाप्त कर दिया गया जिसका असर दोनों के संबंध पर स्पष्ट दिखाई देता है।¹

सन 1970 के दशक में भारत-नेपाल संबंधों में कटुता देखी जा सकती है जिसका मुख्य कारण सिक्किम का विलय था। भारत का परमाणु विस्फोट करना वह भारत सोवियत मैत्री भी मानी है राजीव गांधी के काल में नेपाल भारत के संबंध में कटुता चरम सीमा पर पहुंचे।

भारत-नेपाल संबंधों में कटुता के कारण

1. राजा महेन्द्र व वीरेन्द्र द्वारा समान दूरी का सिद्धांत अपनाया जाना
2. भारत द्वारा 1960 के समय नेपाल के प्रति आलोचनात्मक रवैया
3. सिक्किम का विलय परमाणु विस्फोट
4. राजीव गांधी का यथार्थवादी रवैया
5. भारत मैत्री सोवियत

मधेशी समस्या

वर्ष 2015 में नवीन संविधान के निर्माण का कार्य पूरा हुआ व सितंबर खंड में इसे लागू कर दिया गया परंतु मधेशिया ने इससे अपने लिए भेदभाव पूर्ण माना मधेशिया ने अपने लिए 2 प्रांतों की मांग की क्योंकि नेपाल के 75 जनपद में से 22 जनपद में म देशों की बड़ी आबादी है 5 जनपद में मधेशिया को एक तरफा बहुमत मिली परंतु सन्यासियों के निर्माण के दौरान मधेशी बहुमत वाले जनपद को पहाड़ी क्षेत्र के साथ मोड़ दिया गया। प्रत्येक राज्य में पहाड़ी मैदान तथा तराई क्षेत्रों को शामिल किया गया जबकि मधेशिया तराई क्षेत्रों के लिए अलग मधेशी राज्य के निर्माण की मांग कर रहे थे।²

संविधान में संसद की सीटों पर परिसीमन के लिए भाग को आधार बनाया गया जबकि मवेशियों ने जनसंख्या के अनुसार संसदीय क्षेत्र के परिसीमन का समर्थन किया। संविधान में उच्च सदन में भारत राज्य को सम्मान प्रतिनिधि दिया गया जबकि मधेसी ने जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि की मांग की।

साथ ही यह भी किया गया कि जिन नेपाली नागरिकों के माता-पिता नेपाली हैं उन्हें ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पदों पर नियुक्त किया जाएगा जबकि मधेशिया के माता-पिता नेपाल के नागरिक नहीं हैं। किंतु गतिरोध को दिखाते हुए सरकार ने पहला संविधान संशोधन किया और संसद में जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण किया गया। सरकार ने मधेशी समुदाय के लोगों के लिए शासन तथा सेना में उचित प्रतिनिधि देने का प्रावधान किया परंतु मधेशी अभी भी अपने लिए 2 प्रांतों के निर्माण की मांग कर रहे हैं।

मधेशिया में भारतीय मूल के मधेशी व नेपाली मधेसी भी शामिल हैं। नेपाल की जनसंख्या 40: भाग मधेशी क्षेत्रों में निवास करता है। नेपाल के राजस्व का 76: भाग इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है। मधेशी मैथिली, भोजपुरी एवं हिंदी भाषा बोलते हैं मधेशिया के सांस्कृतिक व वैवाहिक संबंध भारतीयों से हैं। वर्ष 1964 के नागरिकता अधिनियम के अनुसार मधेशी को नागरिकता के सर्टिफिकेट से वंचित कर दिया गया जिससे उन्हें नेपाल में भूमि खरीदने के अधिकारों से भी वंचित होना पड़ा। मधेशी के अनुसार मधेशी क्षेत्र का विकास नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में

¹ 21वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय संबंध – पुष्पेश पंत, पृष्ठ 118

² अंतरराष्ट्रीय संबंध– बी.एल.फाडिया, कुलदीप फाडिया, पृष्ठ 78

अधिक कम हुआ है। मधेशी यहां भी मानते हैं कि भारत की दृष्टिकोण सदैव काठमांडू केंद्रित होता है व भारत बीमा देशों के हितों की उपेक्षा करता है। नेपाल सरकार मधेशिया को भारत समर्थक मानती हैं।³

मधेशी समस्या का भारत-नेपाल संबंधों पर प्रभाव

- मधेशी समस्याओं के अंतर्गत हिंसक गतिविधियों के कारण भारत नेपाल के बीच आवागमन मार्ग को अवरुद्ध करने से नेपाल के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि भारत के द्वारा पारा गमन मार्ग रोका गया है।
- नेपाल के द्वारा भारत के साथ संबंधों में रुचि नहीं रह गई वहीं दूसरी ओर चीन के साथ निकटता बनाने में रुचि देखी जा रही है। साथ ही नेपाल से इनके बीच रेल मार्ग बिछाने का समझौता के प्रकार से भारत की कूटनीतिक हार के रूप में देखी जा सकती।
- नेपाल के द्वारा जो भारत पर तेल भी निर्भरता ह्रास उसे समाप्त करके चीन से तेल आयात प्रारंभ कर दिया।

भारत-नेपाल विवाद

भारत-नेपाल विवाद मुख्य रूप से व्यापार और पारगमन सन्धियों को लेकर प्रारम्भ हुआ। यह सही है कि दोनों देशों के बीच अक्टूबर, 1988 में व्यापार सन्धि पर प्रारम्भिक हस्ताक्षर हो गये थे। भारत को यह आशा थी कि भारतीय सामानों पर नेपाल द्वारा लगाया गया भारी सीमा शुल्क स्वतः समाप्त हो जायेगा। परन्तु ऐसा नहीं किया जा सका। दूसरी ओर नेपाल ने सड़क से आने वाले चीन के माल पर साठ प्रतिशत की छूट दे दी। अतः प्राथमिकता का वादा करके भारत के साथ वादा खिलाफी की गई। इसके अतिरिक्त भारत व्यापार और पारगमन दोनों के लिए संधि चाहता है जबकि नेपाल अलग-अलग संधि चाहता है। नेपाल ने अप्रैल, 1987 में आंशिक तौर से तथा सितम्बर, 1988 से पूरे देश में भारतीय मूल के लोगों के लिए रोजगार परमिट अनिवार्य कर दिया जबकि भारत ने 1950 की सन्धि का अनुपालन करते हुए ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया। भारत में लगभग 35 लाख नेपाली रहते हैं। तथा नेपाल में 50,000 भारतीय रहते हैं। सन् 1950 की सन्धि के ही कारण अन्य विदेशी नागरिकों की भाँति उनका पंजीकरण नहीं किया गया है। भारत द्वारा दी गई तमाम सुविधाओं के बदले नेपाल ने भारत को और भारतीयों को तस्करी ही दिया। तस्करी नेपाल के सहयोग से फलफूल रही, जिसके कारण भारत को सर्वाधिक हानि हुई। अतः भारत को नेपाल के मामले में फूँक-फूँक कर कदम उठाना होगा। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने फरवरी, 1996 में भारत की यात्रा की। उनकी राय में भारत की जनता और नेपाल की जनता के बीच बहुत अच्छे सम्बन्ध है और ये निरन्तर अच्छे हो रहे हैं। उनकी इसी यात्रा के दौरान भारत और नेपाल के बीच महाकाली नदी के पानी और उस पर स्थापित पन बिजली परियोजना से तैयार बिजली के बंटवारे पर एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए। इसके तहत 2,000 मेगावाट क्षमता की विशाल बिजली परियोजना पूरा करने का समझौता हुआ। इसके अनुसार नेपाल को लगभग 5 किलोवाट बिजली और 150 क्यूसेक पानी निःशुल्क प्रदान करेगा।

वर्तमान स्थिति

वस्तुतः इसे चीनी जादू कहा जाए या नेपाल की कूटनीतिक चाल कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार भारत को परेशान करने की कोशिश हो रही है। भारत इन सभी कोशिशों को नेपाल की चीन से बढ़ती नजदीकी के रूप में देख रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने रिश्ते पर चीनी चाल भारी पड़ रही है? या फिर यह मान लिया जाए कि हालिया दिनों में नेपाल ज्यादा से ज्यादा महत्वाकांक्षी बन गया है और भारत उसकी आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा है।

भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि

- यह भारत और नेपाल के मध्य विपक्षी संधि है जिसका उद्देश्य दोनों दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के बीच घनिष्ठ रणनीतिक संबंध स्थापित करना है।
- यह संधि दोनों देशों के बीच लोगों और वस्तुओं की मुक्त आवाजाही और रक्षा एवं विदेश मामलों के बीच घनिष्ठ संबंध तथा सहयोग की अनुमति देता है साथ ही यह संधि नेपाल को भारत से हथियार खरीदने की सुविधा भी देता है।
- इस संधि के द्वारा नेपाल को एक भू-आबद्ध (संदक.सवबा) देश होने के कारण कई विशेषाधिकार को प्राप्त करने में सक्षम बनाया है।

³ भूमंडलीकरण के दौर में भारतीय विदेश नीति – राजेश मिश्रा (सरस्वती IAS), पृष्ठ 32

- भारत नेपाल की खुली सीमा दोनों देशों के संबंधों की विशिष्टता है जिससे दोनों देशों के लोगों को आवागमन में सुगमता रहती है दोनों देशों के बीच 18 से 50 किलोमीटर से अधिक लंबी साझा सीमा है जिससे भारत के 5 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड जुड़े हुए हैं।

सहयोग के विभिन्न क्षेत्र

सांस्कृतिक व धार्मिक क्षेत्र

नेपाल और भारत दुनिया के दो प्रमुख धर्म हिंदू और बौद्ध धर्म के विकास के आसपास एक सांस्कृतिक इतिहास साझा करते हैं। बुद्ध का जन्म वर्तमान नेपाल में स्थित लुंबिनी में हुआ था बाद में बुद्ध ज्ञान की खोज में वर्तमान भारतीय क्षेत्र बोध गया आए, जहां उन्हें आत्म ज्ञान प्राप्त हुआ। बोधगया से महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों ने विश्व के कोने-कोने तक बौद्ध धर्म का प्रसार किया। भारत व नेपाल दोनों ही देशों में हिंदू वह बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। रामायण सर्किट की योजना दोनों देशों के मजबूत सांस्कृतिक व धार्मिक संबंधों का प्रतीक है।

सामाजिक क्षेत्र

भारत नेपाल की खुली सीमा दोनों देशों के संबंधों की विशेषता है, जिससे दोनों देशों के लोगों को आवागमन में सुगमता रहती है। दोनों देशों के नागरिकों के बीच आजीविका के साथ-साथ विवाह और पारिवारिक संबंधों की मजबूत नींव है। इस नींव को ही रोटि बेटि का रिश्ता नाम दिया गया है।

आर्थिक क्षेत्र

भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार होने के साथ-साथ विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत नेपाल को अन्य देशों के साथ व्यापार करने के लिए पारगमन सुविधा भी प्रदान करता है। नेपाल अपने समुद्री व्यापार के लिए कोलकाता बंदरगाह का उपयोग करता है। भारतीय कंपनियां नेपाल में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हैं। इन कंपनियों की नेपाल में विनिर्माण बिजली पर्यटन और सेवा क्षेत्र में उपस्थिति है।

अवसंरचना विकास क्षेत्र

भारत सरकार नेपाल में जमीनी स्तर पर बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए समय-समय पर विकास सहायता प्रदान करती है। इसमें बुनियादी ढांचे में स्वास्थ्य जल संसाधन शिक्षा ग्रामीण और समुदाय विकास जैसे मुद्दे शामिल हैं।

आपदा प्रबंधन

नेपाल में अक्सर भूकंप भूस्खलन और हिमस्खलन बादल फटने और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा रहता है ऐसा मुख्य रूप से भौगोलिक कारकों के कारण होता है क्योंकि नेपाल एक प्राकृतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है। भारत आपदा से संबंधित ऐसे किसी भी मामले में कर्मियों की सहायता के साथ-साथ तकनीकी और मानवीय सहायता भी प्रदान करता है।

संचार क्षेत्र

नेपाल एक भू-आबद्ध देश है। जो तीन तरफ से भारत से और एक तरफ तिब्बत से घिरा हुआ है। भारत-नेपाल ने अपने नागरिकों के मध्य संपर्क बढ़ाने और आर्थिक वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कनेक्टिविटी कार्यक्रम शुरू किए हैं। हाल ही में भारत के रक्सौल को काठमांडू से जोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक बिछाने हेतु दोनों सरकारों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

क्या बिगड़ते रिश्ते में भारत की भूमिका है?

नवंबर 2019 को भारत में एक नवीन मानचित्र प्रकाशित किया था जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्शाता है इसी मानचित्र में काला पानी को भी भारतीय क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है। इस मानचित्र ने भारत नेपाल के बीच पुराने विवादों में नई जान डाल दी। भारतीय फिल्मों में नेपाली महिलाओं को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से भी नेपाल ने नाराजगी व्यक्त की। नेपाल वर्ष 2017 में चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना में शामिल हुआ, परंतु भारत नेपाल पर इस परियोजना में शामिल न होने का दबाव डाल रहा था भारत द्वारा इस प्रकार दबाव डालना नेपाल को रास नहीं आया और इस घटना ने भारत की बिग ब्रदर वाली छवि को स्थापित किया। दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट तब आए जब सितंबर 2015 में नेपाली संविधान अस्तित्व में आया। लेकिन, भारत द्वारा नेपाल संविधान का उस रूप में स्वागत नहीं किया जिस रूप में नेपाल को आशा थी। इसी तरह नवंबर 2015 में जेनेवा में भारतीय प्रतिनिधित्व द्वारा नेपाल में राजनीतिक फेरबदल को प्रभावित करने के लिए मानवाधिकार परिषद के मंच का कठोरता पूर्वक उपयोग किया गया, जबकि इससे पहले तक नेपाल के आंतरिक मुद्दों को लेकर भारत द्वारा कभी भी खुलकर कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। भारत का रुख मधेशियों को नेपाल में नागरिकता का अधिकार दिलाना था। इनमें लाखों मधेशियों ने वर्ष 2015 में नागरिकता को लेकर व्यापक आंदोलन

चलाया था। नेपाल सरकार का ऐसा आरोप है कि मधेशियों के समर्थन में भारत सरकार ने उस समय नेपाल की आर्थिक घेराबंदी की थी।

भारत और नेपाल संबंधों का वर्तमान परिदृश्य

भारत की विदेश नीति में जहां सभी देशों में अच्छे संबंधों को बढ़ावा देने की अपक कोशिश की जा रही है। वही नेपाल सरकार के द्वारा भारत के प्रति अपना सही नजरिया नहीं दिखाई देता है। उत्तराखंड में काला पानी के बाद अब लिटिल एक इलाके को लेकर नेपाल में बहस तेज हो गई है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व प्रत्याशी पुष्प कमल रहता प्रचंड ने कहा कि अगर भारत कूटनीतिक तरीके से सीमा विवाद कोहल को नजर अंदाज करता है तो नेपाल फैसला करें कि उसे किस रास्ते पर बढ़ना है। भारत ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए पिथौरागढ़ धारा से लिपि लेख को मोड़ने वाली सड़क का उद्घाटन किया था उत्तराखंड में स्थित लिपुलेख पर नेपाल अपना दावा करता है और उसने भारत द्वारा सड़क निर्माण के कदम का विरोध किया है। नेपाल ने रेत राम पर भारत में प्रतिक्रिया देते हुए कहा की सड़क पूरी तरह से भारत के क्षेत्र में स्थित है।

नेपाल की संसद में भी लिपुलेख को लेकर टहलने सांसदों को नवाब देते हुए कहा कि समस्या का समाधान करने के लिए भारत और नेपाल को उच्च स्तरीय राजनीतिक और कूटनीतिक चैनलों का इस्तेमाल करना चाहिए। नेपाल की संसदीय समिति ने भारत को लिपुलेख तक रोड लिंक खोलने के कदम को लेकर के लिए दहल को बैठक में आमंत्रित किया था।

नेपाल के विदेश मंत्रालय ने भारत के इस कदम को एकपक्षीय बताया है। मई 2015 में भारत और चीन ने लिपुलेख से होते हुए एक व्यापार मार्ग बनाने और उसके विस्तार को लेकर मंजूरी दी थी। भारत कैलाश मानसरोवर लिंक रोड के तहत धारचूला सेल तिब्बत को जोड़ना चाहता है, जिसके लिए वह बिन बिजिंग के संपर्क में है।⁴ दहल ने बैठक में कहा कि इस विवाद को सुलझाने के लिए नेपाल को चीन के साथ बातचीत करनी चाहिए क्योंकि अब यह 3 देशों के बीच का मामला है।

नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप गया वाली ने समस्या को बढ़ाने की तरफ बयान दिया, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संबंध समिति को की बैठक में कहा कि भारत ने रोड लिंक बढ़ाते हुए नेपाल के 19 किलोमीटर की भूखंड पर अतिक्रमण कर लिया वही। इससे पहले भारत ने कहा था कि कोरोना वायरस खत्म होने के बाद नेपाल और भारत के साथ वार्ता में शामिल होगा।

भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सड़क निर्माण भारत का के भूखंड क्षेत्र में ही हुआ है, लेकिन फिर भी इस मुद्दे पर नेपाल के साथ वार्ता की जाएगी भारत के द्वारा कहा गया कि भारत नेपाल के साथ घनिष्ठ और द्विपक्षीय संबंधों की भावना और कूटनीतिक संवाद के जरिए सीमा मुद्दे को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार ने इस मुद्दे पर भारत की आलोचना की और कहा कि भारत ने इस कदम को द्विपक्षीय समझौतों और आपसी समझ दोनों का उल्लेखन हुआ है। इससे नेपाल की समस्त और उपखंड पर हल हुआ है। उन्होंने सरकार से कहा कि सरकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मुद्दे पर भारत से बात करनी चाहिए। जबकि भारत की विदेश नीति सदैव सभी देशों की प्रमुखता एकता व अखंडता को बनाए रखने की रही है। भारत ने अपने पड़ोसी देश के साथ सदैव ही एल्डर ब्रदर की तरह व्यवहार किया है ना कि बिग ब्रदर की तरह नेपाल द्वारा भारत के हिस्से को अपने नक्शे में दिखाया जाना जहां भारत सदैव सभी देशों की प्रमुखता का सम्मान करता आया है वही नेपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। नेपाल में भारत को लेकर कुछ हिस्से को अपने नक्शे में दिखाया हालांकि कुछ समय पश्चात ही नेपाल ने अपने इस नक्शे को बदल दिया।

सुगौली संधि 1815

1815 में नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सुगौली संधि हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुए एक युद्ध के द्वारा हार के बाद में अपालने अपना काफी सा दवा दिया था। युद्ध समाप्त होने के बाद सुगौली संधि पर कंपनी की तरफ से और नेपाल की तरफ से राम गुरु गया राम ने हस्ताक्षर किए और इसी के आधार पर ब्रिटिश भारत और नेपाल की सीमा रेखा है। इस संधि में नेपाल की महाकाली नदी को दोनों देशों के बीच सीमा का आधार बनाया गया हालांकि पिछले 200 सालों में नदी में कार अपना रास्ता बदला जिसकी वजह से सीमा विवाद गहराता गया पुराने मानचित्र और दस्तावेजों की मूल प्रति ना होने की वजह से इस सीमा विवाद को सुलझाना और भी मुश्किल हो चुका है। सन 2016 में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई वार्ता के बाद इन दस्तावेजों का

⁴ दक्षिणी एशियाई देशों के राजनीति- डॉ नलिन सिंह पंवार, पृष्ठ 18

पता लगाने के लिए नेपाल में संसदीय मोर्चा शुरू किया गया। 22 जुलाई 1916 को मौज दल ने नेपाल की संसद में बताया कि सुगौली संधि और भारत-नेपाल संधि की मूल प्रति देशों में मौजूद नहीं है।

भारत की सुरक्षा के सन्दर्भ में नेपाल का स्त्रातेजिक महत्त्व

प्राचीन काल से भारत एवं नेपाल के सम्बन्धों का इतिहास इतना अधिक क्रमबद्ध, सुनिश्चित और घनिष्ठ रहा है कि इसके परिणामस्वरूप दोनों के जन-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यथा-सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा राजनीतिक समरूपता दृष्टिगोचर होती है। इस एकरूपता का विशेष कारण यह है कि अतीत काल में, जब नेपाली राजवंश की स्थापना नहीं हुई थी तब नेपाल के अधिकांश भू-भाग भारतीय साम्राज्यों के हिस्से थे अथवा दोनों भू-भागों में एक ही शासक थे।

नेपाल भारत का एक ऐसा पड़ोसी राष्ट्र है, जिसके साथ सीमा पर कोई रोक-टोक नहीं है। इस सन्दर्भ में पुष्पेश पंत लिखते हैं कि “भारत और नेपाल इतने निकट और घनिष्ठ पड़ोसी देश हैं कि कई बार लोग नेपाल को विदेश मानने को तैयार ही नहीं होते।”¹ भारत-नेपाल के बीच लगभग 1800 किमी० लम्बी सीमा पर न कोई बाड़ है और न ही कोई अवरोध। सीमा को दर्शाने के लिए सिर्फ कंकरीट के स्तम्भ बने हुए हैं। दोनों देशों की सीमाएं एकदम से खुली हैं और दोनों देशों के नागरिकों के लिए आवागमन भी खुला हुआ है। नेपाल पूरब, पश्चिम और दक्षिण में भारत से तथा उत्तर में तिब्बत-चीन से जुड़ा हुआ है।

भारत की स्वंत्रता के पश्चात् भारत-नेपाल सम्बन्धों में एक नये युग का शुभारम्भ हुआ। भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन में नेपाल ने अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया था। भारत-चीन संघर्ष में नेपाल पूर्णतः तटस्थ रहा और भारत भी यह नहीं चाहता था कि नेपाल इस संघर्ष में अपने को सम्मिलित करे। लेकिन नेपाल को चीन की विस्तारवादी नीति पर शंका अवश्य पैदा होने लगी और इस युद्ध के बाद नेपाल नरेश महेन्द्र ने भारत से सम्बन्ध सुधारने की स्थिति अनुभव की, इसलिए उन्होंने भारत-चीन युद्ध के दौरान कहा कि नेपाल ने कभी किसी अन्य देश के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं किया और न ही वह अन्य किसी देश का अपने मामले में हस्तक्षेप सहन कर सकता है। यह हम नेपालियों का जन्मजात गुण है कि एक मित्र के संकट के समय उससे सहानुभूति रखें क्योंकि नेपाली वीर होते हैं और विश्वासघात उनकी प्रकृति के प्रतिकूल है। इस प्रकार भारत-नेपाल सम्बन्ध अधिकांशतः मधुर ही रहे हैं।

बदलते परिप्रेक्ष्य में भारत को अपने सामरिक हित को ध्यान में रखते हुए पड़ोसी देश के प्रति नीति में सुरक्षा के तत्व को प्राथमिकता देना आवश्यक हो गया था। भारत की यह इच्छा थी कि पड़ोसी राष्ट्र नेपाल, भूटान तथा सिक्किम की सरकारें, भारत विरोधी किसी शक्ति को इस क्षेत्र में न तो पनपने दें और न ही उससे निर्देशित हों।

इसलिए इन देशों को अपनी सुरक्षा परिधि में लाने के उद्देश्य से भूटान के साथ 8 अगस्त 1949 को, नेपाल के साथ 31 जुलाई 1950 तथा सिक्किम के साथ 5 दिसम्बर 1950 को सन्धियां की गयीं। इसी परिप्रेक्ष्य में अपनी नीति को और स्पष्ट करते हुए 22 मार्च, 1949 को इंडियन काउन्सिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली में नेहरू ने कहा था हमारी विदेश नीति केवल पड़ोसी देशों तक सीमित नहीं है। परन्तु पड़ोसी देश के एक दूसरे के लिए विशेष हित होते हैं इसलिए भारत को अपने पड़ोसी देशों से जो जमीन व समुद्र से जुड़े हुए हैं, जैसे चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल, वर्मा, मलेशिया, इण्डोनेशिया व श्रीलंका के साथ सम्बन्धों को विशेष हितों के दृष्टिकोण से देखना होगा। नेपाल से स्थापित विशेष सम्बन्ध में भारत का मूल उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना था। यद्यपि सन्धि करने के पीछे यह भावना भी थी कि बदले हुए परिप्रेक्ष्य में प्राचीन सम्बन्ध, आर्थिक आत्मनिर्भरता व परस्पर राजनैतिक हित पूर्व की भाँति संचालित होते रहें। भारत का उद्देश्य यह भी था कि नेपाल भारत की सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी में सम्मिलित हो जाये। इससे उत्तर की ओर से चीन के बढ़ते खतरे व शीतयुद्ध के प्रभाव से भारत को सुरक्षित रखा जा सकता था। क्योंकि यह स्पष्ट था कि भारत की उत्तरी सीमा की सुरक्षा में निहित थी। नेपाल की सन्धि के द्वारा अपने सुरक्षा चक्र को मजबूत करना आवश्यक था।

यद्यपि भारत और नेपाल के सांस्कृतिक, सामाजिक, भावनात्मक और आर्थिक सम्बन्ध हजारों वर्ष पुराने हैं और इन साझा संस्कृतियों, रूढ़ियों एवं परम्पराओं को अलग किया जाना कठिन है फिर भी दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि भारत के इतिहास में भारत और नेपाल में आपसी सम्बन्धों को लेकर बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। भारत की आजादी के समय नेपाल में निरंकुश राजतंत्र था और महाराजा अपने समर्थ सबल-प्रधानमंत्री राणाओं के चंगुल में थे। राणाशाही से मुक्त होने की छटापटाहट नेपाल नरेश को भारत के करीब लायी। तब विशेष परिस्थितियों में भारत-नेपाल मैत्री संधि 31 जुलाई 1950 को संपन्न हुई।² इस ऐतिहासिक सन्धि का नेपाल 1960 तक अनुकरण

करता रहा परन्तु 26 अप्रैल 1960 को नेपाल ने चीन के साथ मैत्री एवं रक्षा समझौता कर लिया, जो इस सन्धि के विरुद्ध था। 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद भी नेपाल चीन से आर्थिक व सामरिक सहायता प्राप्त करता रहा। 1975 में नेपाल ने हठधर्मिता अपनाते हुए भारत से व्यापार व पारगमन पर अलग-अलग सन्धियों पर हस्ताक्षर किए जबकि पहले यह एक ही सन्धि में दोनों व्यवस्थाएं थी। उल्लेखनीय है कि 23 मार्च 1989 को दोनों देशों के बीच व्यापार एवं पारगमन संधि समाप्त होने के बाद विवाद पैदा हो गया था।³ 1988 के मध्य नेपाल ने चीन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री कोइराला ने 1991 में भारत यात्रा के दौरान पुनः व्यापार तथा पारगमन सन्धि पर हस्ताक्षर करके तनाव कम किया। ज्ञातव्य है कि नेपाल ने सिक्किम के भारत में विलय का भी विरोध किया था।

8 अप्रैल 1990 को शताब्दियों से चले आ रहे असीमित राजतंत्र के स्थान पर नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। महाराजा वीरेन्द्र ने जनता की इच्छा को स्वीकार करके निर्दलीय पंचायत व्यवस्था को समाप्त कर दिया और दलों पर आधारित संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की। नेपाल के आर्थिक विकास में भारत की प्रतिबद्धता को 1992 के पश्चात अनेक कार्यक्रमों के द्वारा व्यावहारिक रूप दिया गया। फिर भी नेपाल की राजनीति में धीरे-धीरे चीन समर्थित कम्युनिस्टों का प्रभाव बढ़ता रहा जो कि नवम्बर 1994 के चुनावों में बढ़कर सत्ता तक पहुँच गया। कम्युनिस्ट नेता मनमोहन अधिकारी के प्रधानमंत्री बनते ही भारत-नेपाल संबंधों पर नये सिरे से विचार होना प्रारंभ हो गया और यह आशंका व्यक्त की जाने लगी कि भारत-नेपाल संबंध अब मधुर नहीं रहेंगे। नेपाल की प्रथम साम्यवादी सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन अधिकारी ने 1995 में भारत की यात्रा की तथा भारत नेपाल संबंधों के सभी क्षेत्रों की पुनर्समीक्षा का सुझाव दिया। इस यात्रा के द्वारा भारत तथा नेपाल के सम्बंधों के प्रति उत्पन्न कुछ ऐसी शंकाओं को दूर किया गया जो कि साम्यवादी सरकार के गठन के बाद उभरकर सामने आयी थी। भारत-नेपाल सम्बंधों में एक बहुत उत्तम स्तर तब आया जब दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने 6 फरवरी 1996 के दिन महाकाली सन्धि पर पर हस्ताक्षर किये। इस सन्धि द्वारा 2000 मेगावाट की सामर्थ्य वाले पंचेश्वर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का 8 वर्षों में निर्माण करने तथा सराहा और टनकपुर जल भण्डारों का विकास करने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। जून 1997 में भारत के प्रधानमंत्री गुजराल ने नेपाल की यात्रा की तो मैत्री सम्बंधों की प्रक्रिया को और बल प्राप्त हुआ। मार्च 1998 में भारत में बनी बी.जे.पी. सरकार ने भारत नेपाल सम्बंधों को विकसित करने की नीति अपनायी। अटल बिहारी वाजपेयी का पड़ोसी राष्ट्रों के सम्बंध में यह मानना रहा है कि “ मित्र बदले जा सकते हैं, परन्तु पड़ोसी नहीं। अतः पड़ोस में कैसी भी व्यवस्था हो उससे मधुर सम्बंध बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। अतः 1998 से 2004 तक के समय में भारत नेपाल संबंध मित्रतापूर्ण एवं सहयोगी बने रहे हैं।

2008 में नेपाल की राजनीति में वर्चस्व कायम करने के बाद माओवादियों का भारत और हिन्दू विरोधी चेहरा बेनकाब हुआ। नेपाल के ब्रह्मदेव नगर मण्डी सीमा से भारत में घुसपैठ करने वाले माओवादियों ने भारत मुर्दाबाद और “भारतीय सेनाओं नेपाल छोड़ो” जैसे नारे लगाये। भारत नेपाल सीमा विभाजित करने के लिए लगाये गये खम्भों में अकिंत भारत शब्द को खरोंच कर मिटा दिया गया। जेहादी कठमुल्लों और माओवादियों का यह प्रयास रहा है कि नेपाल को भारत से दूर कर चीन के करीब कर दिया जाय और उसे भारत के खिलाफ इस्लामी आतंकवाद के केन्द्र के रूप में उपयोग लाया जाय।

निष्कर्ष

1990 के दशक से नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था के संक्रमण की प्रक्रिया चल रही है। 2006 में लोकतांत्रिक आन्दोलन के परिणामस्वरूप राजतंत्र को समाप्त कर नेपाल को एक पंथ निरपेक्ष तथा बहुसंस्कृति वाला देश घोषित किया गया था। जबकि इसके पहले नेपाल में राजशाही शासन तथा हिन्दू धर्म को नेपाल के राजधर्म के रूप में मान्यता प्राप्त थी। 1996 से 2006 तक के लोकतांत्रिक आन्दोलन में माओवादियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तथा उन्हें युवाओं और जनता के कमजोर वर्गों का समर्थन भी प्राप्त हो गया था। नेपाल की लोकतांत्रिक राजनीति में माओवादियों का प्रवेश एक नई घटना थी, जिन्हें वैचारिक प्रेरणा चीन से प्राप्त हो रही थी। परिणामस्वरूप इनका दृष्टिकोण भारत विरोधी रहा है। नेपाल का नया संविधान बनाने के लिए 2008 में नेपाल की संविधान सभा के जो चुनाव हुए उसमें माओवादियों को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई। माओवादियों ने 2008 में अन्य दलों के समर्थन से सरकार का गठन भी किया और माओवादी नेता के रूप में पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने परम्परा को ताक पर रखते हुए अपनी विदेश यात्रा की शुरुआत चीन से की। जबकि भारत-नेपाल विशेष सम्बंधों के रूप में इससे पहले एक अनौपचारिक परम्परा यह थी कि नेपाल के नये प्रधानमंत्री अपनी विदेश यात्रा में भारत ही आते थे। प्रचण्ड ने 1950 की भारत नेपाल सन्धि को भारत की सम्प्रभुता के विरुद्ध बताते हुए उसे समाप्त करने

की मांग की थी। भारत पर नेपाल के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप भी लगाया गया। इसके साथ ही भारत नेपाल में चलायी जा रही विकास योजनाओं को भारत विरोधी प्रदर्शनों को निशाना बनाया गया। जिसके कारण वर्तमान में भारत की सहायता से नेपाल के 75 जिलों में चल रही 420 विकास परियोजनाएं राजनीतिक अस्थिरता के कारण अवरुद्ध पड़ी हैं।

भारत और नेपाल में सांस्कृतिक समानता होने के बावजूद भी समय-समय पर मतभेद उत्पन्न होते रहे हैं। चीन हमेशा से ही भारत नेपाल मधुर सम्बंधों में बाधक रहा है। चीन ने नेपाल को अपने प्रभाव में लेने के कई प्रयास किए परन्तु भारत ने नेपाल को निरन्तर आर्थिक और तकनीकी सहायता देकर वहां सड़कों के निर्माण और पानी बिजली के विकास में सहायता और सहयोग देकर मित्रतापूर्ण सम्बंध बनाये रखने के लिए चेष्टा की है। भारत-नेपाल के सम्बंधों के निर्धारण में चीन हमेशा से ही निर्णायक कारण रहा है। बिना चीन की भूमिका के भारत-नेपाल के सम्बंधों के बारे में अध्ययन नहीं किया जा सकता है। 42 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या वाला नेपाल दुनिया के अल्प विकसित देशों में से एक है। 141577 वर्ग किमी क्षेत्रफल वाला नेपाल दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक होने के बावजूद दक्षिण एशिया में इसका भूराजनीतिक महत्व है, क्योंकि इसकी सीमाएं एशिया के दो सबसे बड़े राष्ट्रों चीन और भारत के साथ लगी हुई हैं। चीन के साथ इसकी लगभग 1236 किमी० तथा भारत के साथ 1751 किमी० सीमा रेखा है, इस तरह नेपाल भारत और चीन दोनों के लिए महत्वपूर्ण स्त्रातजिक मूल्य रखता है। बीजिंग के अनुसार नेपाल चीन के आन्तरिक सुरक्षा घरे का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह नहीं चाहता है कि कोई भी वैश्विक या क्षेत्रीय शक्ति इस सुरक्षा घरे को तोड़े। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत के अधिग्रहण से चीन के लिए नेपाल का स्त्रातजिक महत्व बढ़ गया है। बीजिंग के लिए नेपाल को तिब्बत मुद्दे पर उदासीन बनना तथा चीनी विद्रोही तिब्बती गतिविधियों के केन्द्र बनने से रोकना एवं शीतयुद्ध के बाद नेपाल में पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका की आर्थिक, राजनैतिक सहायता के रूप में उपस्थिति को रोकना भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया। अमेरिका के प्रभाव को कम करना तथा अपनी सुरक्षा को सुदृढ़ करना भी नेपाल के लिए महत्वपूर्ण हो गया चीन के लिए नेपाल का महत्व सिर्फ इतना है कि चीन नेपाल का उपयोग भारत पर दबाव बनाने के लिए करना चाहता है।

जब तक भारत चीन सम्बन्ध सामान्य थे और तिब्बत भारत और चीन के बीच अन्तरस्थ राज्य के रूप में था तब तक नेपाल का स्त्रातजिक महत्व कम था, लेकिन जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद उभरा और तिब्बत पर चीन का पूर्ण नियंत्रण हो गया, तब से नेपाल ने चीन का प्रयोग भारत के प्रभाव को कम करने के लिए करना शुरू कर दिया तथा चीनी गणना में महत्वपूर्ण स्थान पा लिया। 2005 में चीन और नेपाल के बीच स्थापित कूटनीतिक सम्बन्धों की 50 वीं वर्षगांठ मनायी गयी। चीनी राष्ट्रपति हूजिंताओं ने 22 अप्रैल 2005 को आसियान सम्मेलन में नेपाल के राजा ज्ञानेन्द्र से मुलाकात की और विचार विमर्श के पश्चात कहा कि नेपाल चीन का स्वभाविक मित्र और पड़ोसी है और हजारों वर्षों से दोनों देशों के बीच मित्रवत आदान-प्रदान होता रहा है तथा चीन नेपाल के बीच मित्रवत पड़ोसी व्यवहार चीन की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जुलाई 2005 में चीनी विदेशमंत्री जियलिंग ने नेपाली विदेशमंत्री रमेश नाथ पाण्डेय को सदेश भेजा और कहा कि चीन-नेपाल सम्बन्ध उन देशों के लिए उदाहरण है जहां अलग-अलग राजनीतिक व्यवस्थाएं कार्यरत हैं। चीन ने नेपाल में अपनी गतिविधियाँ बढ़ाते हुए 25 दिसम्बर 2005 में एक समझौता किया जिसमें दोनों देशों ने सांस्कृतिक, व्यापार, पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहयोग का निर्णय लिया और नेपाल में चीनी निवेश तथा उद्यम लगाने पर भी सहमति प्रकट की। अप्रैल 2006 से शुरू जन आन्दोलन और अंतरिम सरकार की स्थापना के साथ चीन नेपाल सम्बन्धों में आज तक लगातार वृद्धि देखने को मिली है।

भारत के लिए नेपाल का स्त्रातजिक महत्व 1990 के बाद उस समय और बढ़ गया, जब परत्परागत शत्रु पाकिस्तान ने नेपाल में अपनी आई०एस०आई० गतिविधियों के लिए केन्द्र स्थापित किया, ताकि वह भारत के खिलाफ कार्यवाही कर सके। 1999 में काठमाण्डू से भारतीय एयरलाइन्स के विमान आई०सी० का अपहरण एक महत्वपूर्ण घटना है। चीन और पाकिस्तान ने नेपाल को लगातार सैनिक सहायता प्रदान की है यहां तक कि 2005 में इस्लामाबाद से रायल नेपाल आर्मी के सैनिकों को व्यापक ट्रेनिंग कैम्पसूल भी उपलब्ध कराये गये थे। इस प्रकार चीन के साथ-साथ पाकिस्तान भी भारत पर दबाव बनाने के लिए नेपाल को महत्व देता रहा। यह तथ्य है कि भारत के लिए नेपाल तथा नेपाल के लिए भारत महत्वपूर्ण है। भारत की उत्तर-पूर्वी सीमा पर स्थित नेपाल जैसे लघु राज्य को भारत जैसे बड़े देश को इसलिए गंभीरता से लेना पड़ा है, क्योंकि यह अपने भू-स्त्रातजिक अवस्थिति के कारण चीन तथा मध्य भारत के मध्य बफर राज्य का कार्य करता है। चीन द्वारा नियंत्रित और संचालित नेपाल या भारत द्वारा नियंत्रित एवं संचालित नेपाल एक-दूसरे के लिए सुरक्षा की दृष्टि से अनेक समस्याओं को जन्म दे

सकता है। दूसरी तरफ नेपाल को भारत की आवश्यकता है क्योंकि नेपाल जो कि पूरी तरह थल सीमा से आबद्ध है, उसे अन्य देशों के साथ समुद्री व्यापार करने के लिए भारत पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए भारत नेपाल सम्बन्धों का मधुर होना अनिवार्य आवश्यकता है। दक्षिण एशिया में भारत की विदेश नीति की सक्रियता का संकेत देने के लिए भारत के नये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 3-4 अगस्त 2014 को नेपाल की सरकारी यात्रा सम्पन्न की है। यह यात्रा भारत व नेपाल के सम्बन्धों को पटरी पर लाने में सहायक होगी। यात्रा के अन्त में 4 अगस्त 2014 को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किये जिसके मुख्य अंश इस प्रकार हैं—

1. दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने परस्पर सम्बन्धों को बढ़ाने तथा व्यापार, पारगमन, जल विद्युत भौतिक सम्पर्कता के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए नये अवसरों को खोजने की आवश्यकता पर बल दिया।
2. दोनों नेताओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था प्रकट की और शान्ति और विकास के साझा दृष्टिकोण को रेखांकित किया।
3. बदली हुई परिस्थितियों के बहुआयामी व गहरे सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों के विदेश सचिवों को 1950 की मैत्री सन्धि के एक नये मसौदे को तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया है।
4. भारत द्वारा नेपाल को एक बिलियन डालर के सस्ते ऋण की घोषणा की गयी है। जिसका प्रयोग नेपाल द्वारा आधारभूत ढाँचे के विकास ऊर्जा योजनाओं को लागू करने में किया जायेगा।
5. संयुक्त वक्तव्य में भारत ने नेपाल की कई विकास परियोजनाओं में वित्तीय व तकनीकी सहयोग देने पर सहमति व्यक्त की है।
6. दोनों नेताओं ने भारत-नेपाल सीमा के विवादास्पद बिन्दुओं के स्थाई समाधान हेतु सहमति व्यक्त की है।
7. दोनों नेताओं ने सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया है।
8. दो नये समझौतों को अन्तिम रूप देने पर सहमति व्यक्त की गई है, इनमें एक समझौता प्रोजेक्ट डेवलपमेण्ट के बारे में है तथा दूसरा समझौता ऊर्जा के व्यापार से सम्बन्धित है।

नेपाल ने इस यात्रा के दौरान अपने यहाँ हो रहे व्यापार घाटे का मामला भी उठाया। भारत का मत है कि नेपाल में जल विद्युत का उत्पादन बढ़ाया जाये जिससे भारत-नेपाल से जल विद्युत का आयात कर सके और नेपाल के व्यापार घाटे को कम किया जा सके। भारत-नेपाल में स्थिरता, विकास तथा लोकतंत्र की स्थापना का समर्थक है। एक तरफ वर्तमान में नेपाल के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में माओवादियों के बढ़ते प्रभाव के कारण चीन का प्रभाव बढ़ा है तो दूसरी तरफ नेपाल की पहली संविधान सभा नेपाल के नये संविधान का निर्माण नहीं कर सकी है और इसे भंग कर नवम्बर 2013 में संविधान सभा के पुनः चुनाव कराये गये, जिसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न होने के कारण सरकारों में कई बार बदलाव हुआ है। और आज तक नये संविधान का निर्माण अधर में लटका हुआ है। नेपाल की यह राजनीतिक अस्थिरता भारत व नेपाल के संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है।

उक्त विश्लेषण एवं अध्ययन के आधार पर भारत नेपाल सम्बन्धों के दुलमुल रवैये को देखते हुए यदि दोनों देशों के नीति निर्माता निम्न सुझावों को अपनी नीतियों में शामिल करें तो निश्चित ही इनके पारस्परिक सम्बन्धों में प्रगति आयेगी और उसे एक नई दिशा मिल सकेगी। ये सुझाव इस प्रकार हैं—

1. दोनों देशों को एक दूसरे की राजनीतिक स्वतंत्रता एवं अखण्डता का सम्मान करना चाहिए, जिससे दोनों देशों को एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए तथा एक दूसरे की भूमि से एक दूसरे के विरुद्ध चलने वाली राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर भी अंकुश लगाना चाहिए।
2. भारत को नेपाल के सामरिक महत्व को देखते हुए नेपाल को अपने पक्ष में रखने के लिए हर तरफ की सहायता में बढ़ोत्तरी करनी चाहिए।
3. आई.एस.आई. का प्रभाव क्षेत्र जो नेपाल में दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है पर अंकुश लगाने के लिए दोनों देशों को संयुक्त कार्य बल गठित करना चाहिए तथा इसके विरुद्ध स्थानीय लोगों की सहायता लेते हुए लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ायी जानी चाहिए।
4. चीनी प्रभाव को कम करने के लिए भारत को नेपाल के साथ विवादित मुद्दों को हल करने का प्रयास तेज करना चाहिए।
5. दोनों राष्ट्रों को अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण हल को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा सह अस्तित्व की भावना को विकसित करना चाहिए।
6. शरणार्थियों एवं गैरकानूनी तौर पर रह रहे नागरिकों की समस्या पर दोनों राष्ट्रों को परस्पर विचार विमर्श के द्वारा एक निर्णायक व सुदृढ़ प्रयास करना चाहिए।

7. दोनो देशों की मीडिया तंत्र की भूमिका सार्थक व उत्तरदायित्वपूर्ण होनी चाहिए।
8. दोनों राष्ट्रों को ऐसे कृत्यों से बचना चाहिए जिनसे सौहार्द्रपूर्ण रिश्तों में खटास आने की आशंका हो।

संदर्भ सूचि

1. पंत पुष्पेश एवं जैन, पाल, भारतीय विदेश नीति, नये आयाम, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, 2000, पृ0-167
2. सिंह, लल्लनजी, राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा, प्रकाश बुक डिपो, बरेली, 2017, पृ0-676
3. पंत पुष्पेश एवं जैन, पाल, पूर्वोक्त, पृ0-170
4. 21वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय संबंध – पुष्पेश पंत, पृष्ठ 118
5. अंतरराष्ट्रीय संबंध– बी.एल.फाडिया, कुलदीप फाडिया, पृष्ठ 78
6. भूमंडलीकरण के दौर में भारतीय विदेश नीति – राजेश मिश्रा (सरस्वती IAS), पृष्ठ 32
7. दक्षिणी एशियाई देशों के राजनीति– डॉ नलिन सिंह पंवार, पृष्ठ 18